रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 666] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 1997/अग्रहायण 12, 1919

No. 666] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 1997/AGRAHAYANA 12, 1919

सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

अधिसूचना

राजकोट, 29 नवम्बर, 1997

का. आ. 816 (अ).—अन्तर्नियम की संशोधित सूची :—

(1 ए) एक्सचेंज से आशय है— "सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड"

(बी) "सदस्य" का अर्थ होगा—एक्सचेंज का सदस्य। स्टॉक एक्सचेंज के "कोरपोरेट सदस्य" का अर्थ है "प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 8(बी) तथा 8(4 ए) के अनुसार योग्यता प्राप्त सदस्य, जिसमें वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं, जैसे—औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, ऊपर बताई गई कम्पनियों या निगमों की सहायक कम्पनियां तथा भारतीय स्टेट बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई सहायक बैंक या मर्चेण्ट बैंकिंग सेवाओं, प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय तथा इसी प्रकार ऐसी गतिविधियां करने के लिए स्थापित अन्य कम्पनियां जिनके लिए केन्द्र सरकार "प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) निगमन 1957 के नियम 8(4) की आवश्यकता पर छूट देने की सिफारिश करती है।

(एम) शब्द व्यक्ति को (शेयर का) भाग देने में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा12/322 के प्रावधानों के अनुपालन के अन्तर्गत निर्मित निगम, फर्म, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान की सहायक, कम्पनियां या भारतीय स्टेट बैंक या, राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसा कोई निकाय कम्पनी शामिल है, जिसके लिए केन्द्र सरकार प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 8(4) की आवश्यकता पर छूट देने की सिफारिश करती है।

(पी) जहाँ तक संदर्भों में अन्यथा आवश्यकता न हो, "प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम" के प्रस्तुत संदर्भों में इन अधिनियमों के प्रावधान लागू होंगे—"प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956, "प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड स्टॉक दलाल एवं उप दलाल विनियम, 1992

(क्यु) सेबी का आशय है—भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड

(आर) जहां तक इन प्रस्तुतों में अन्यथा परिभाषित न किया गया हो, या जहां संदर्भ की आवश्यकता अन्यथा न हो या इन शब्दों के अलग अर्थ न निकलते हों, वहां या इन प्रस्तुतों के वही अर्थ होंगे जो—"प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 "भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992" या इनके अन्तर्गत बने किन्हीं सांविधिक नियमों के अन्तर्गत अर्थ निकलते हों।

(एस) "सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं" का आशय है—

(ए) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 के 18) के अन्तर्गत स्थापित "भारतीय औद्योगिक वित्त निगम" ;

(बी) औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 के 18) के अन्तर्गत स्थापित "भारतीय औद्योगिक विकास बैंक" ;

(सी) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 के 31) के अन्तर्गत स्थापित "भारतीय जीवन बीमा निगम"।

(डी) साधारण बीमा निगम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 के 57) के अन्तर्गत स्थापित "भारतीय साधारण बीमा निगम" ;

(इ) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अधिनियम, 1963 (1963 के 52) के अन्तर्गत स्थापित "यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया" ;

(एफ) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 के 1) के अन्तर्गत स्थापित "भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लिमिटेड" ;

(जी) ऊपर बताई गई कम्पनियों और निगमों की कोई सहायक कम्पनी तथा भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की ऐसी सहायक कम्पनी, जिसकी स्थापना मर्चेन्ट बैंकिंग सेवा, प्रतिभूतियों की क्रय-विक्रय सेवा या ऐसी ही किसी अन्य गतिविधि के लिए की गई है।

2. व्यक्ति तथा ऐसी कम्पनी निकाय, एक्सचेंज की सदस्यता के लिए पात्र है, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 की शर्तों के अनुसार जिन सदस्यों का कम्पनी में पंजीकरण हुआ है उनकी संख्या 500 है। सदस्यों की संख्या समय-समय पर सरकार के पूर्व अनुमोदन या सरकार के निर्देश पर प्रबंधतंत्र की सलाह से बढ़ायी जा सकती है। कोरपोरेट सदस्यों पर निम्नलिखित अनुच्छेद 2 (ए) लागू होंगे।

(ए 1) कोई कम्पनी, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के सेक्शन के तहत निर्मित है तथा जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट वित्तीय मानदण्डों तथा आवश्यकताओं का अनुपालन करने का वचन देती है वह, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 के 15) के सेक्शन 12 के सब सेक्शन (1) के अन्तर्गत सदस्य के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र है। बशर्ते कि—

(ए) कम्पनी के अधिकतर निर्देशक, कम्पनी के शेयर होल्डर है तथा कम्पनी की कम से कम 40 प्रतिशत चुकता पूंजी इनके पास है या उस निकाय कम्पनी के पास है, जिन्होंने इन्हें बोर्ड में निर्देशक बनाया है।

(बी) प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 8 के वाक्य (1) (उपवाक्य) (एक) को छोड़कर या वाक्य (3) (उपवाक्य (एक)को छोड़कर) के अन्तर्गत कम्पनी के निर्देशकों को स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है, तथा कम्पनी के निदेशक ऐसी कम्पनी के निदेशक मंडल में न हों जो स्टॉक एक्सचेंज की सदस्य रह चुकी हो तथा जिसे एक्सचेंज ने व्यक्तिक्रमी (डिफाल्टर) घोषित कर दिया हो या निकाल दिया हो। तथा

(सी) कम्पनी के कम से कम तीन निदेशक ऐसे हों जिन्हें निम्नलिखित का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो—

(1) प्रतिभूतियों का व्यवहार (कारोबार)

(2) पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में

(3) निवेश परामर्शदाता के रूप में

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, कम्पनी अधिनियम, 1956 के सेक्शन 12/322 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्मित कम्पनी, सार्वजनिक वित्तीय संस्था/इन संस्थानों निगमों, की सहायक समितियां, भारतीय स्टेट बैंक/राष्ट्रीकृत बैंकों की सहायक कम्पनियां एक्सचेंज की सदस्यता के लिए पात्र नहीं होंगे, जब तक कि वे ऊपर बताई गई कम्पनियां/संस्थान, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत दिए गये प्रावधानों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते। एक कम्पनी सदस्य को स्टॉक एक्सचेंज के नये सदस्य के रूप में प्रवेश पाने तथा सूची बद्ध होने के लिए आवश्यक प्रक्रिया, शर्तों आदि के साथ ही उक्त प्रक्रिया एवं आवश्यकताओं में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों का अनुपालन करना भी होगा। कम्पनी सदस्य को इन सभी की कापियां प्रस्तुत करनी होंगी—पार्षद सीमा नियम एवं अन्तर्नियम या कारपोरेट सदस्यों के संगठन की कापी जिसमें नियमों, उपनियमों लागू विनियमों तथा अधिनियम तथा इस कम्पनी/वित्तीय संस्था या इसकी सहायक कम्पनी को बैंक या उसकी सहायक कम्पनी से कारोबार करने तथा स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक दलाली करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, तथा निदेशक मण्डल के संकल्प की एक कापी जिसमें निदेशकों/प्राधिकृत सहायकों/ऐसे कारपोरेट सदस्यों के प्रतिनिधियों को एक्सचेंज की तरफ से कार्य करने, अधिनियम करने के लिए

अधिकार दिए गए हैं, तथा इन निदेशकों/प्राधिकृत सहायकों/प्रतिनिधियों के नमूना हस्ताक्षरों की कापी, आगे, किसी ऐसी कम्पनी/निगम/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या कोरपोरेट सदस्य को सदस्यता नहीं दी जाएगी यदि (1) इसने दिवालिया होने का कोई कार्य किया है (2) ऐसा कोई कार्य किया है, जिसकी वजह से विधि के अनुसार कारोबार समेटना पड़ेगा (3) या ऐसी किसी कम्पनी के लिए प्रावैधानिक समापक, गृहीता या सरकारी समापक नियुक्त किया गया है।

(3) एक कम्पनी जिसे कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है, एक्सचेंज की सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए पात्र है यदि—

(ए) ऐसी कम्पनी का निर्माण कम्पनी अधिनियम 1956 के सेक्शन 322 के प्रावधानों का पालन करते हुए किया गया है।

(बी) ऐसी कम्पनी के अधिकतर निदेशक, कम्पनी के शेयर होल्डर हैं, तथा स्टॉक एक्शन के सदस्य भी हैं, तथा

(सी) ऐसी कम्पनी के निदेशक की जो स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य भी हैं, कम्पनी में असीमित देयताएं हैं।

(डी) ऐसी कम्पनी "भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड" द्वारा समय समय पर निर्धारित ऐसी वित्तीय आवश्यकताओं एवं अन्य मानदण्डों का अनुपालन करने का वचन देती है।

आगे बशर्ते कि—कोई कम्पनी, जो एक्सचेंज के अन्तर्नियमों के अनुच्छेद 2ए की शर्तों के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र है, उसे एक्सचेंज की सदस्यता का लाभ लेने के लिए पात्र माना जाएगा तथा "भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड" अधिनियम, 1992 के सेक्शन 12 के साथ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर एवं सब ब्रोकर) नियम 1992, तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के विनियमों को साथ पढ़ते हुए उनके अनुपालन को विधिवत् रूप से सुनिश्चित करने के बाद ही उसे शेयरों तथा प्रतिभूतियों में कारोबार करने की इजाजत दी जाएगी।

(4) प्रत्येक कम्पनी जिसका गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के सेक्शन 12/322 के प्रावधानों के अनुपालन के अनुसार हुआ है, प्रवेश शुल्क के रूप में रु. 5,00,000 (रुपए पांच लाख केवल) का भुगतान करेगी, जिसमें से रु. 1,00,000 (रुपए एक लाख केवल) सदस्यता के आवेदन के साथ तथा रु. 4,00,000 (रुपए चार लाख केवल) प्रवेश की सूचना भेजने के 30 दिन के अन्दर भुगतान किए जाएंगे। जैसाकि, ऊपर कहा जा चुका है, सदस्य के रूप में प्रवेश पाने वाली कम्पनी, "भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड" से आधारभूत सुविधाएं लगाने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, विकास एवं आधारभूत सुविधाओं के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करेगी। बशर्ते कि, सार्वजनिक वित्तीय संस्था, जिसे एक्सचेंज के पार्षद अन्तर्नियमों के अनुच्छेद 1(एक) के संदर्भों में एक्सचेंज की सदस्यता दी गई है, पार्षद नियमों के अनुच्छेद 2 ए के संदर्भों में, एक्सचेंज की सदस्यता पाने वाली कम्पनी के मुकाबले दुगनी फीस के बराबर प्रवेश फीस का भुगतान करेगी तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद परिषद् की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए निर्धारित राशि का भुगतान किया जाएगा।

5. कम्पनी अधिनियम 1956 के सेक्शन 12/322 के अन्तर्गत गठित कम्पनी या एक्सचेंज के अन्तर्नियमों के अनुच्छेद 1 (एस) के संदर्भों में सार्वजनिक वित्त संस्था का सदस्यता के लिए आवेदन एक्सचेंज परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित फार्म में किया जाना आवश्यक है तथा इस पर, वित्तीय संस्थाओं/निगमों/बैंकों की सहायक कम्पनियों के मामले में कम से कम दो निदेशकों के हस्ताक्षर होने चाहिएं जिनमें से एक प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक होना चाहिए । जहां ऐसे वित्त निगमों में एक प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक है जैसा भी मामला है, वहां आवेदन के साथ कम्पनी/सार्वजनिक वित्त संस्था के निदेशक मण्डल द्वारा पारित संकल्प की कापी लगाई जाएगी, तथा यह अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित होगी, यदि कम्पनी/सार्वजनिक वित्तीय संस्था का कोई या प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक, आवेदन फार्म प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिन की अवधि में एक कम्पनी केरूप में शेयर तथा प्रतिभूतियों का कारोबार करना चाहता है। जहां कोई कम्पनी/वित्तीय संस्था सदस्यता चाहती है किन्तु ऊपर बताई हुई आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं, तो वहां, आवेदक की सुनवाई का वाजिब अवसर प्रदान करके, एक्सचेंज प्रबंधतंत्र की परिषद्, एक्सचेंज की सदस्यता के उक्त आवेदन को अस्वीकार कर सकती है।

6. यदि परिषद् उचित समझती है तो, कम्पनी अधिनियम, 1956 के सेक्शन 322 के प्रावधानों के अनुसार गठित एवं परिभाषित कम्पनी को एक्सचेंज की सदस्यता ग्रहण करने की अनुमति दे सकती है। बशर्ते कि—

(ए) ऐसी कम्पनी अधिनियम 1956 के सेक्शन 322 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए निगमित एवं निर्मित की गई है तथा कम्पनी कार्यालय का एक कार्यालय राजकोट शहर की सीमाओं में स्थित है।

उसने कम से कम तीन वर्ष तक या परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित अवधि तक किसी सदस्य के साझेदार, या प्राधिकृत सहायक या प्राधिकृत लिपिक या रेमिज़ियर या शिक्षु (एप्रेन्टिस) के रूप मे कार्य किया हो—

(बी) ऐसी कम्पनी के अधिकतर निदेशक, असीमित देयताओं तक एक्सचेंज के सदस्य हैं तथा नियुक्त किए जाने वाले गैर सदस्य निदेशक भारतीय हैं।

वह कम से कम तीन वर्ष तक या परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित अवधि तक या किसी सदस्य के साझेदार, अन्य सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने तथा एक्सचेंज में अपने नाम पर नहीं, बल्कि किसी अन्य सदस्य के नाम पर सौदेबाजी करने को सहमत हैं।

(सी) ऐसी कम्पनी के निदेशक, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत परिभाषित संबंधियों सहित सदस्य, कम्पनी के मुख्य शेयर होल्डर हों, तथा किसी भी समय कम्पनी की चुकता पूंजी का कम से कम 51% हिस्सा रखते हों तथा ये निदेशक, सदस्य ऐसी कम्पनी में असीमित देयताएं रखते हों।

(डी) ऐसी कम्पनी में निदेशकों, सदस्यों के शेयर धारण करने का स्वरूप (पैटर्न) एक्सचेंज परिषद् की पूर्व सहमति बिना बदला न जाए।

(इ) किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसी कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है या जो किसी भी कारण से कम्पनी का शेयर होल्डर होने योग्य नहीं है या जो भारत में किसी भी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का बजट होल्डर/सब ब्रोकर या प्राधिकृत प्रतिनिधि है।

(एफ) एक्सचेंज के सदस्य/सदस्यों को, जो कम्पनी के निदेशक हैं, अपना पूरा समय सदस्य संस्था के कारोबार में लगाना चाहिए; अन्यथा एक्सचेंज के अन्तर्नियमों की शर्तों के अनुसार परिषद् को अधिकार है, कि कि वह "कारण बताओ नोटिस" जारी करे, तथा उनके सामने उपस्थित हो तथा यदि संबंधित निदेशक के बारे में सिद्ध हो जाता है, वह सदस्य संस्था को समुचित समय नहीं दे रहा है, तो उसे एक्सचेंज की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाएगा तथा सदस्यता के नाते मिले उसके सभी अधिकार आगे से वापस ले लिए जाएंगे। ऐसी कम्पनी के सदस्य निदेशक को, स्वयं को प्रतिभूतियों के अलावा अन्य किसी कारोबार में मुख्य रूप से या कर्मचारी के रूप में नहीं लगाना चाहिए। यदि कोई सदस्य निदेशक "प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 8 (3) के प्रावधानों का उल्लंघन करता हैं तो एक्सचेंज परिषद् को अधिकार होगा कि वह एक्सचेंज अन्तर्नियमों के अन्तर्गत सदस्य को "कारण बताओ नोटिस" जारी करे तथा यदि यह सिद्ध हो जाता है कि सदस्य ने उक्त नियमों का अनुपालन नहीं किया है तो उसे एक्सचेंज की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाएगा तथा सदस्य के नाते प्राप्त उसके सभी अधिकार वापस ले लिए जाएंगे।

(जी) किसी प्राधिकृत सहायक/प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करते हुए निदेशक सदस्य की देयताएं असीमित होंगी।

(एच) ऐसी किसी कम्पनी के निदेशक को जिसे सदस्यता के अधिकार दिए गये हैं, दूसरी अन्य किसी कम्पनी के निदेशक, किसी कम्पनी के साझेदार या, किसी स्वामित्व वाली फर्म के एकाधिकार मालिक के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी, जिसे सदस्यता का अधिकार प्राप्त है। जो कम्पनी एक्सचेंज की सदस्य है तथा जिसे कारोबार करने की अनुमति है ऐसी किसी कम्पनी के निदेशक को अनुच्छेद 2(ए) (8) (जी) में वर्णित कारोबार के अलावा लाभ वाले अन्य किसी कार्य को करने की अनुमति नहीं है।

(आई) उस कम्पनी को जिसे कारोबार करने की अनुमति है, स्वयं ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जब तक जैसी सूचनाएं एक्सचेंज द्वारा मांगी जाएं वह उन्हें भेज सके, उसे शेयर और प्रतिभूतियों का कारोबार करने वाले किसी अधिकारी, कर्मचारी या किसी कोरपोरेट कम्पनी के परामर्शक को कम्पनी में निदेशक नियुक्त नहीं करना चाहिए।

(जे) परिषद् सन्तुष्ट हो, कि कम्पनी के पार्षद सीमा नियम एवं अन्तर्नियम में वे सभी प्रावधान हैं जिसका अनुच्छेदों एवं नियमों की जरूरतों के अनुसार आवेदक द्वारा अनुपालन जारी रखना आवश्यक है। इसमें ऐसे प्रावधान भी हैं, जिनके तहत सदस्य कम्पनी स्वयं या एक्सचेंज के निवेदन पर अपने शेयर होल्डरों से ऐसी कोई सूचना मांग सकते हैं, जिसे एक्सचेंज चाहता है।

(के) ऐसी किसी कम्पनी के मामले में यदि प्रवेश/कारोबार करने की स्वीकृति के बाद, किसी समय कारपोरेट सदस्य का कोई अधिकारी, प्रवेश से पहले या प्रवेश के आवेदन में जानबूझ कर कोई महत्वपूर्ण गलती या गलत बयानी करता है, तो अनुच्छेदों के प्रावधानों के अनुसार परिषद् की ओर से नोटिस जारी करके, कम्पनी की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। पार्षद अन्तर्नियमों के प्रावधानों का विधिवत् रूप से पालन करते हुए, परिषद सदस्य निदेशक को निष्कासित कर देगी, तथा एक्सचेंज द्वारा सदस्य के नाते दिए गये अधिकारों को वापस ले लेगी तथा यदि कम्पनी इस बात से संतुष्ट है, कि व्यापार को सदस्यता का लाभ लेने के लिए एक्सचेंज में प्रवेश चाहने के लिए आवेदन करते समय, कम्पनी उसके लिए पात्र नहीं थी तथा कम्पनी ने जानबूझ कर किसी समय पर गलत बयानी करके इसे पाया है (या) प्रवेश के बाद/व्यापार का लाभ लेने की स्वीकृति के बाद निदेशक/

कम्पनी ने प्रतिभूति जमा रखना बंद कर दिया है (या) इन कारणों के अन्तर्गत पात्रता के गुण नहीं रखती है (या) कम्पनी ने पार्षद् अन्तर्नियमों, नियमों, उपनियमों, एक्सचेंज के नियमों या प्रतिभूति (विनियम) अधिनियम, 1956, तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है या प्रावधानों को तोड़ा है।

(एल) ऐसी कम्पनी के सदस्य निदेशक के निष्कासित होते ही, कारपोरेट सदस्य को, सदस्य के नाते दिए गये अधिकार वापस ले लिए जाएंगे।

7. यदि परिषद् उचित समझती है तो कम्पनी अधिनियम, 1956 के सेक्शन 12 के प्रावधानों के अनुपालन से गठित कम्पनी को सदस्यता के लिए प्रवेश की अनुमति दे सकती है। बशर्ते कि —

(ए) कम्पनी का एक कार्यालय राजकोट शहर की सीमा में स्थित है।

एक्सचेंज के सदस्य के रूप में प्रवेश पाने के लिए आवेदक को निर्धारित न्यूनतम मानदण्डों जैसे उम्र, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा वित्तीय तरलता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा तथा सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों एवं मानदण्डों का अनुपालन करना होगा।

(बी) कम्पनी, भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के सेक्शन 12 के सब-सेक्शन (1) के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदण्डों तथा वित्तीय आवश्यकताओं के अनुपालन का वचन देती है।

(सी) कम्पनी के अधिकार निदेशक, कम्पनी के शेयर होल्डर हैं तथा कम्पनी की चुकतापूंजी का कम से कम 40% भाग या तो स्वयं इन निदेशकों के पास है या उस कम्पनी के पास है, जिसने इन्हें निदेशक नियुक्त किया है; तथा इस 40% का स्वरूप परिषद् की पूर्व सहमति के बिना परिवर्तित नहीं होगा।

आवेदन के साथ वार्षिक चंदे के रूप में रु. 2000/- (रुपये दो हजार) तथा प्रवेश फीस के रूप में रु. 10,000/- (रुपये दस हजार) तथा प्रबंध परिषद् द्वारा समय-समय पर बढ़ाई गई राशि भेजनी होगी।

(डी) कम्पनी के निदेशक, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 8 के, सब क्लॉज़ (एक) छोड़कर, क्लॉज (3) या सब-क्लॉज (एक) छोड़कर, क्लॉज 1 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य होने के लिए अयोग्य नहीं हैं तथा ऐसी किसी कम्पनी में भी निदेशक के पद पर नहीं हैं, जिसे व्यतिक्रमी (डिफाल्टर) घोषित कर दिया गया है या स्टॉक एक्सचेंज से निकाल दिया गया है।

(ई) कम्पनी के कम से कम दो निदेशक ऐसे हैं जिनको निम्न में से किसी एक में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव है—

1) प्रतिभूतियों का व्यवहार या

2) पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में या

3) निवेश परामर्शक के रूप में ।

(एफ) शेयर होल्डर निदेशकों की देयताएं सीमित होंगी, चाहे कम्पनी किसी प्राधिकृत सहायक/प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करती हो।

(जी) कम्पनी अधिनियम, 1956 के सेक्शन 12 के प्रावधानों के अनुपालन से गठित प्रत्येक कम्पनी, निम्न के प्रतिनिधि—के रूप में पात्र होगी।

(1) अनुच्छेद 2 (ए) (1) (सी) के अन्तर्गत परिभाषित अनुभव रखने वाले अधिकतम दो निदेशकों द्वारा ऐसे प्राधिकृत सहायकों/प्रतिनिधियों द्वारा किया गया व्यापार, जिन्हें कम्पनी का व्यापार चलाने के लिये निदेशक मण्डल ने संकल्प करके पात्र अधिकृत प्रतिनिधि नामित किया है।

(2) एक्सचेंज परिषद् में चुनाव, एक्सचेंज को किसी समिति में नामांकन, अनुच्छेद 2 (ए) (1) (सी) के अन्तर्गत परिभाषित अनुभव रखने वाला एक निदेशक ।

8. निम्नलिखित प्रावधान, कम्पनी अधिनियम, 1956 के सेक्शन 12 तथा 322 के अन्तर्गत गठित उन कम्पनियों पर लागू होंगे, जिन्हें एक्सचेंज के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया गया है।

(ए) कम्पनियों के पार्षद अन्तर्नियमों में उन प्रावधानों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें एक्सचेंज परिषद् समय-समय पर उचित समझती है।

(बी) कम्पनी, वार्षिक आम सभा के समय के साथ-साथ अन्य किसी समय पर भी कम्पनी के शेयर होल्डरों की सूची एक्सचेंज को प्रस्तुत करेगी, जब भी एक्सचेंज द्वारा इसकी मांग की जाती है।

(सी) ऐसा कोई व्यक्ति कम्पनी का निदेशक नहीं होगा—

(1) जिसे किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ने स्टॉक एक्सचेंज के किसी लेनदेन के संबंध में व्यतिक्रमी (डिफाल्टर) घोषित कर दिया है या

कम्पनी अधिनियम, 1956 के सेक्शन 12/322 के प्रावधानों का अनुपालन करने वाली कम्पनियों तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं/ऐसी संस्थाओं की सहायक कम्पनियों, भारतीय स्टेट बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की सहायक कम्पनियों पर उक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे। तथापि, उनको परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदण्डों/शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(2) जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अपराध में शामिल है या जिसे दोषी पाया गया है या

(3) भारत में मान्यता प्राप्त एक्सचेंज की सदस्य कम्पनी, जिसका गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 के सेक्शन 12 के प्रावधानों के अनुपालन से हुआ है, का ऐसा निदेशक, जिसे स्टॉक एक्सचेंज ने व्यतिक्रमी (डिफाल्टर) या निष्कासित घोषित कर दिया है।

(डी) ऐसी कम्पनी के पार्षद सीमा नियम, विशेषकर, पार्षद सीमा नियम के आपत्ति अनुच्छेद के किसी प्रस्तावित संशोधन तथा कारपोरेट अस्तित्व के पार्षद अन्तर्नियम में संशोधन के लिए, इसे सामान्य आम सभा की बैठक में संकल्प के रूप में रखने से पहले, पूर्व अनुमोदन के लिए एक्सचेंज के समक्ष रखना होगा।

नोटिस बोर्ड पर उक्त पोस्टिंग के 15 दिन की अवधि बीत जाने पर, सचिव उक्त आवेदन को, उस पर यदि किसी सदस्य ने आपत्ति उठाई है तो उस आपत्ति सहित, उस अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) समिति के सामने रखेगा जिसका गठन परिषद द्वारा सेबी के पूर्व अनुमोदन से किया गया है। इस समिति में, अन्य लोगों के साथ-साथ सेबी/भारत सरकार के दो नामिती होंगे, जिनमें से एक गुजरात सरकार का वरिष्ठ अधिकारी हो सकता है।

(ई) कम्पनी रजिस्ट्रार के पास भेजे जाने से पहले कम्पनी की रिपोर्टों की कापियां, सभी आम सभाओं की सूचनाएं, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र, विवरणियां आदि एक्सचेंज को अग्रेषित की जाएंगी। एक्सचेंज, कम्पनी को ऐसी अतिरिक्त सूचनाएं या महत्वपूर्ण दस्तावेज भेजने के लिए निदेश कर सकता है, जिनकी समय-समय पर जरूरत होती है।

(एफ) कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत रखी जाने वाली सांविधिक पुस्तकों सहित, कम्पनी द्वारा रखी जा रही सभी पुस्तकें, एक्सचेंज प्राधिकारियों को निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगी। किसी समय पर यदि एक्सचेंज को लगता है, कि कम्पनी द्वारा पुस्तकें सही ढंग से नहीं रखी जा रहीं हैं तो परिषद् की खुली छूट होगी कि वह कम्पनी के विरुद्ध समुचित, आवश्यक कार्यवाई करे।

(जी) ऐसी कम्पनी के सीमा नियम के आपत्ति वाक्य में मुख्य आपत्ति वाक्य 'स्टॉक ब्रोकिंग' या उससे सम्बद्ध अन्य मामलों तक सीमित होना चाहिए, जैसे—हामीदार (अण्डर राइटर) के रूप में कार्य करना, निर्गम के दलाल के रूप में कार्य करना, प्रतिभूतियों में व्यवहार, शेयरों एवं प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, मर्चेन्ट बैंकिंग, बाज़ार निर्माता, निर्गम के पुंजीयक, शेयर अन्तरण एजेन्ट, निवेश कारोबार, पोर्टफोलियो प्रबंधन, निवेश परामर्श, मीयादी जमा दलाल, वित्तीय परामर्श, वित्तीय एवं बट्टा दलाल, निर्गम सलाहकार तथा निर्गम परामर्शक।

(एच) ऐसी किसी कम्पनी के प्रबंधतंत्र में किसी परिवर्तन, या कम्पनी के स्थानान्तरण/समामेलन/या उसी उद्देश्य वाली दूसरी कम्पनी में मिलने के लिए कम्पनी को परिषद् से पूर्व अनुमोदन लेना होगा।

(आई) यह एक्सचेंज परिषद् के पूर्व स्वविवेकाधिकार में है कि ऊपर बताई गई शर्तों का विधिवत् रूप से पालन न करने वाली कम्पनी को भी कारपोरेट निकाय के रूप में कारोबार करने की अनुमति दे सकती है।

बशर्ते कि, ऊपर बताई गई कोई भी क्लॉज ऐसी सार्वजनिक वित्त संस्थाओं, इन निगमों की सहायक कम्पनियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों या भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कम्पनियों पर लागू नहीं होंगी, जिन्हें भारत सरकार के निदेशों के अनुसार एक्सचेंज की सदस्यता की अनुमति दी गई है।

(जे) कारपोरेट सदस्य के किसी निदेशक/प्राधिकृत सहायक/प्रतिनिधि में कोई परिवर्तन,एक्सचेंज को पूर्व सूचना एवं एक्सचेंज से लिखित सहमति के बाद किया जाएगा। ऐसी सहमति देने से पहले एक्सचेंज इन सभी नये व्यक्तियों के नमूना हस्ताक्षर तथा अन्य व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करेगा।

(के) एक्सचेंज परिषद् को स्वविवेकाधिकार है कि वह कारपोरेट सदस्य द्वारा अपना कारोबार करने के लिए अपना प्रतिनिधि नामित करने के आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत कर दे, यदि ऐसा प्रतिनिधि अवांछनीय है या व्यक्तिगत तौर पर सदस्य के रूप में काम करने के लिए अयोग्य है।

(एल) सब क्लोज (जी) में बताई गई 'आपत्ति क्लोज' के अन्तर्गत की जाने वाली हर गतिविधि के लिए कम्पनी अलग-अलग खाते रखेगी तथा हर गतिविधि के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदण्डों एवं वित्तीय आवश्यकताओं का अनुपालन करेगी।

9. (1) बशर्ते कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के सेक्शन 12 के प्रावधानों से अनुपालन से निर्मित कम्पनी, एक्सचेंज की सदस्यता के लिए प्रवेश के लिए, व्यक्ति द्वारा जमा प्रतिभूति या परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित उच्च राशि के समतुल्य प्रतिभूति राशि रखेगी। आगे, कम्पनी अधिनियम, 1956 के सेक्शन 322 के प्रावधानों के अन्तर्गत कम्पनियों के संदर्भों में, प्रतिभूति की राशि, व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई उस राशि के समतुल्य होगी, जो एक्सचेंज के सदस्य निदेशकों की सदस्य संख्या पर निर्भर करती है। किन्तु सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं/इन संस्थाओं की सहायक कम्पनियां, निगम/भारतीय स्टेट बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक, कम से कम रु. 5 लाख प्रतिभूति जमा के रूप में रखेंगे तथा इस प्रकार रखी जाने वाली प्रतिभूति की सारी रकम नकदी के रूप में होगी।

11. (ए) (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 के सेक्शन 12/322 के प्रावधानों के अनुपालन के अन्तर्गत हरएक कम्पनी तथा एक्सचेंज के पार्षद अन्तर्नियम के अनुच्छेद 1 (एस) में परिभाषित हर वित्तीय संस्था, पार्षद अन्तर्नियम के अनुच्छेद 11 (ए) में बताए अनुसार जो व्यक्ति सदस्यों पर लागू हैं, वही वार्षिक चंदा भुगतान करेगी। ऊपर बताए अनुसार यह चंदा, प्रवेश के समय तथा बाद में अप्रैल की 30 तारीख को या उससे पहले हर वर्ष के देय चंदे के रूप में भुगतान किया जाएगा।

17. (डी) त्यागपत्र/समर्पण/सदस्यता से व्यतिक्रमी होने की वजह से खाली हुई रिक्तियों को प्रबंधन परिषद, उस व्यक्ति या कारपोरेट निकाय को नीलामी द्वारा देकर भर सकती है, जो अनुच्छेद 2ए तथा 6 के अनुसार अन्यथा अन्यत्र एक्सचेंज के सदस्य होने को है।

एक्सचेंज के पंजीकृत कार्यालय में दिनांक 29 अक्तूबर, 1994 को 5वीं आम सभा में संकल्प पारित करके एक्सचेंज के पार्षद अन्तर्नियम के अनुच्छेद 17 (सी) के बाद इसे जोड़ें।

63. एक्सचेंज के कुल मिलाकर सारे प्रबंधन कार्य, प्रबंध परिषद् में निहित होंगे। जब तक सेबी अन्यथा सहमत न हो। इसमें 13 सदस्य होंगे, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं—

(ए) स्टॉक एक्सचेंज के 6 सदस्य, स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे।

(बी) अधिनियम तथा अनुच्छेद 64 (ए) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार या सेबी द्वारा नामित अधिकतम तीन व्यक्ति।

(सी) अनुच्छेद 64 (बी) शर्तों के अनुसार सेबी द्वारा नामित तीन जन प्रतिनिधि।

(डी) अनुच्छेद 83 (ए) की शर्तों के अनुसार नियुक्त एक कार्यकारी निदेशक, जो प्रबंध परिषद् के पदेन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

64. (ए) केन्द्र सरकार/सेबी समय-समय पर एक या अधिक किन्तु तीन से अधिक नहीं, सदस्य या सदस्यों की प्रबंध परिषद् के सदस्य के रूप में नामित कर सकती है। इन सदस्यों का स्तर तथा शक्तियां प्रबंध परिषद् के अन्य सदस्यों के समान ही होंगी। केन्द्र सरकार या सेबी द्वारा नियुक्त सदस्यों पर आवर्तन या अन्य किसी प्रकार सेवा निवृत्ति लागू नहीं होंगी तथा जब तक केन्द्र सरकार/सेबी किसी भी समय इन नामितियों को पद त्यागने के लिए कह सकती है तथा इनके स्थान पर नये व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है।

(बी) (1) अनुच्छेद 63 (सी) के अन्तर्गत नामित किया गया, जन प्रतिनिधि ईमानदारी, व्यावसायिक अनुभव, रखने वाले व्यक्तियों में से होंगे।

(2) जन प्रतिनिधि के रूप में नामित किए जाने के लिए, एक्सचेंज की प्रबंध परिषद्, सेबी को नाम भेज सकती है। तथापि, सेबी को यह अधिकार होगा, कि वे ऐसे व्यक्ति को भी नामित कर सके, जिसका नाम एक्सचेंज की प्रबंध परिषद् द्वारा सेबी को अग्रेषित नहीं किया गया है।

(3) प्रबंध परिषद् में नामित किया गया जनप्रतिनिधि, पदग्रहण करने से एक वर्ष की अवधि तक, या वार्षिक आम सभा तक जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेगा।

(सी) बशर्ते कि, सेबी किसी भी समय तीन से अधिक जनप्रतिनिधि नियुक्त कर सकती है ताकि, अनुछेद 64 (बी) तथा अनुच्छेद 64(ए) के अन्तर्गत नामित किए गए सदस्यों की कुल संख्या, अनुच्छेद 63(ए) के अन्तर्गत सदस्यों की कुल संख्या से अधिक न हो सके।

67 (सी) बशर्ते कि, जहां कोई सदस्य प्रबंध परिषद् के लिए लगातार दो वर्षों तक सदस्य चुना गया है, वह आगे दो वर्षों के लिए स्वयं को पुन:चुनाव के लिए प्रस्तुत नहीं करेगा। आगे, ऐसा कोई एक्सचेंज सदस्य प्रबंध परिषद् के लिए नहीं चुना जाएगा, जो लगातार दो सालों तक प्रबंध परिषद् में सेवा कर चुका है ।

69 बशर्ते कि, अनुच्छेद 67(सी) के प्रावधानों के अनुसार कोई सदस्य जो सेवानिवृत होने वाला सदस्य या परिषद् प्रबंधन नहीं है, यदि वह या उसका प्रस्ताव करने वाला अन्य कोई सदस्य, एक्सचेंज के पंजीकृत कार्यालय में होने वाली बैठक के कम से कम 14 दिन पहले अपने हस्ताक्षर युक्त प्रबंधन परिषद् की सदस्यता के लिए अपना महत्व बताते हुए या ऐसे सदस्य की ऐसी संज्ञा दर्शाते हुए कि वह पद के लिए अपनी उम्मीद्वारी प्रस्तुत करता है, जैसा भी मामला हो, नोटिस देता है, तो वह किसी आम बैठक में प्रबंधन परिषद् के सदस्य के पद हेतु पुन:चुने जाने के लिए पात्र होगा।

72 (1) एक्सचेंज का अध्यक्ष, वार्षिक आम बैठक की समाप्ति के 10 दिन के अन्दर, प्रबंध परिषद् के चुने हुए सदस्यों में से चुना जाएगा तथा किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए केन्द्र सरकार/सेबी से अनुमोदन प्राप्त करने की जरूरत नहीं है।

(2) अनुच्छेद 72(1) के अनुसार नियुक्त अध्यक्ष एक वर्ष तक अपने पद पर रहेगा तथा पुन:चुने जाने के लिए पात्र होगा। बशर्ते कि, ऐसा कोई व्यक्ति, जो लगातार दो वर्षों तक अध्यक्ष के पद पर रहा हो, अपने आपको पुन:चुने जाने के लिए प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसके पिछले पद पर रहने को एक वर्ष से अधिक न हो गया हो।

(3) एक्सचेंज का उपाध्यक्ष, वार्षिक आम बैठक की समाप्ति के 10 दिन के अन्दर प्रबंध परिषद् के चुने हुए सदस्यों में से चुना जाएगा तथा किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष नियुक्त करने के लिए केन्द्र सरकार/सेबी से अनुमोदन प्राप्त करने की जरूरत नहीं है।

(4) अनुच्छेद 72(3) के अनुसार नियुक्त उपाध्यक्ष एक वर्ष तक अपने पद पर रहेगा तथा पुन:चुने जाने के लिए पात्र होगा।

बशर्ते कि, ऐसा कोई व्यक्ति, जो लगातार दो वर्षों तक उपाध्यक्ष के पद पर रहा हो, अपने आपको पुन:चुने जाने के लिए प्रस्तुत नहीं करेगा, जब तक कि, उसके पिछले पद पर रहने को एक वर्ष से अधिक न हो गया हो।

74 (ए) "जब तक वह कम से कम तीन वर्ष तक सदस्य न रहा हो—" तथापि, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, एक्सचेंज को मान्यता की स्वीकृति की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के लिए, यह शर्त लागू नहीं होगी।

83 (ए) प्रबंध परिषद् सेबी के पूर्व अनुमोदन से एक पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक को नियुक्त करेगी, जो पदेन, प्रबंध परिषद् द्वारा नियुक्ति प्रत्येक समिति, उप समिति का सदस्य होगा। कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति सेवा शर्तों, सेवाओं के नवीनीकरण या सेवाओं की समाप्ति आदि के लिए सेबी का पूर्ण अनुमोदन देना आवश्यक होगा। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति जितने समय अपने पद पर रहेगा, उतने समय वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने आपको किसी कारोबार में नहीं लगाएगा, तथा यदि एक्सचेंज का सदस्य इस प्रकार नियुक्त होता है तो उसे आगे के लिए इसकी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। प्रबंध परिषद् के साथ-साथ कार्यकारी निदेशक का कर्त्तव्य होगा कि वह विधि, नियमों, विनियमों तथा पार्षद अन्तर्नियमों व एक्सचेंज के विनियमों तथा उपनियमों के लागू करने योग्य प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए सेबी द्वारा जारी निदेशों, मार्गदर्शन एवं आदेशों को प्रभावशाली ढंग से अंजाम दे। इन कार्यों की किसी असफलता पर, सेबी की पूर्व अनुमति पर या इस बारे में सेबी से कोई निदेश प्राप्त होने पर, एक्सचेंज कार्यकारी निदेशक को उसके पद से हटा सकता है या उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है, शर्त यह है कि—ऐसी सेवा समाप्ति (टरमिनेशन) से पहले, इसके खिलाफ कार्यकारी निदेशक की सुनवाई की जाएगी।

84 (ए) प्रबंध परिषद् भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्व अनुमोदन से एक सचिव नियुक्त करेगी। इस नियुक्ति की शर्तें सेबी के पूर्व अनुमोदन से निर्धारित होंगी। इस प्रकार नियुक्ति हुआ सचिव, सेबी की पूर्व अनुमति बिना न तो बर्खास्त किया जा सकता है और न ही अपने पद से हटाया जा सकता है।

89 (ए) (3) अनुशासनक समिति

(बी) (1) बशर्ते कि, एक्सचेंज के अधिकतम 40 प्रतिशत सदस्य पंचनिर्णय अनुशासनिक एवं व्यक्तिक्रम (डिफाल्ट) समितियों में नामित किए जा सकते हैं तथा उक्त समितियों में बाकी 60 प्रतिशत सदस्य, सेबी के पूर्व अनुमोदन से, स्टॉक एक्सचेंज से बाहर के सदस्यों में से नामित किए जाऐंगे।

[सं. एस के एस ई/ई डी/97-98/1754]

महेश पी. शाह, कार्यकारी निदेशक

SAURASHTRA KUTCH STOCK EXCHANGE LIMITED

NOTIFICATION

Rajkot, the 29th November, 1997

S.O. 816(E).—List of Articles Amended :—

ARTICLE 1 (a) :

"The Exchange" means Saurashtra Kutch Stock Exchange Limited.

ARTICLE 1(b) :

"Member" shall mean a member of the Exchange. "Corporate Member" of the Stock Exchange means a member qualified in accordance with Rule 8(4) and 8(4A) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 and includes Public financial institutions, viz., Industrial Finance Corporation, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, The General Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, Industrial Credit and Investment Corporation of India, subsidiaries of any of the Corporations or companies referred to above and any subsidiary of the State Bank of India or any Nationalised Bank set up for providing Merchant Banking Services, buying and selling securities and other similar activities of such other bodies corporate for which Central Government makes a recommendation for relaxation of the requirements of Rule 8(4) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957.

ARTICLE 1 (m) :

Words imparting individuals/persons include corporations, firms, companies formed in compliance with the provisions of Section 12/322 of the Companies Act, 1956, public financial institution, subsidiaries of any of the public financial institutions or State Bank of India or any Nationalised Banks, or such other bodies corporate for which the Central Government makes a recommendation for relaxation of the requirement of Rule 8(4) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957.

ARTICLE 1(p) :

Unless the context otherwise requires, references in these presents to the Securities Contracts (Regulation) Act include references to the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub Brokers) Rules, 1992 and Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub Brokers) Regulations, 1992, as may be applicable.

ARTICLE 1(q) :

SEBI means Securities and Exchange Board of India.

ARTICLE 1(r) :

Unless otherwise defined in these presents, or unless the context requires or indicates a different meaning any word or expression occurring in these presents shall bear the same meaning as in the Securities Contracts (Regulation) Act 1956, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or any statutory rules framed thereunder.

ARTICLE 1(s) :

The term public financial institution means :

(a) The industrial Finance Corporation of India, established under the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (18 of 1948);

(b) The Industrial Development Bank of India, established under the Industrial Development Bank Act, 1964 (18 of 1964);

(c) The Life Insurance corporation of India, established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956);

(d) The General Insurance Corporation of India constituted under the General Insurance Corporation (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972);

(e) The Unit Trust of India established under the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963);

(f) The Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited, a company established under the Companies Act, 1956 (1 of 1956)

(g) The subsidiaries of any of the corporation or companies specified above and any subsidiary of the State Bank of India or any Nationalised Bank set up for providing merchant banking services, buying and selling securities and other similar activities.

ARTICLE 2 :

Individuals and bodies corporate are eligible to be members of the Exchange subject to the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957. The number of members with which the Company stands registered is 5000. The number of members can be increased from time to time by the Council of Management with prior approval of the Government or when so directed by the Government. Corporate members shall be subject to following Article 2(A).

ARTICLE 2A :

(1) A company formed under Section 12 of the Companies Act, 1956 and which undertakes to comply with such financial requirements and norms as may be specified by Securities and Exchange Board of India be eligible for the registration as member under Sub-Section (1) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act 1992 (15 of 1992) provided:

(a) majority of the Directors of such company are shareholders of the Company and not less than 40% of the paid-up equity capital of the company is held by these Directors themselves or by the body corporate appointing them as directors on the Board of such company;

(b) directors of the company are not disqualified for being members of Stock Exchange under clause (1) (except sub-clause (f) thereof or clause (3) (except sub clause (f) thereof of Rule 8 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 and the Directors of the company had not held the offices of the Directors in any company which had been a member of the Stock Exchange and had been declared defaulter or expelled by the Stock Exchange and;

(c) not less than three directors of the company are persons who possess a minimum three years experience :

(i) in dealing in securities; or
(ii) as portfolio managers; or
(iii)as investment consultants.

(2) No individual and company formed in compliance with the provisions of Section 12/322 of the Companies Act, 1956, public financial institution/.subsidiaries of such institutions, corporations, subsidiaries of Nationalised Banks/State Bank of India shall be eligible to be admitted to the Membership of the Exchange unless the company/institutions referred to hereinabove satisfies the requirements prescribed in that behalf under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, and the Rules framed thereunder. A corporate member shall comply with the terms and conditions and procedure regarding the enrollment and admission as a new member of the Stock Exchange, mutatis mutandis in addition to the requirements and procedures mentioned. A corporate member shall furnish a copy of the Memorandum and Articles of Association or a copy of the constitution of such corporate members including the Rules, Bye-laws and Regulations and enactments as applicable and authorising such Body Corporate or Company/Financial Institution or its subsidiaries, Bank and its subsidiaries to conduct the business and occupation of stock broking as member(s) of the Stock Exchange and a copy of the Board Resolution empowering the Directors/Authorised Assistant(s) representative(s) of such corporate member(s) to act, engage and deal on behalf of Exchange and also furnish a copy of the specimen signature of such Director(s)/Authorised Assistant(s)/ Representative(s). Provided further that the corporate member(s)/ Public Financial Institutions/ Corporation shall not be admitted as a member if; (i) it had committed an act of insolvency or (ii) an act for which such body corporate is liable to be wound up under the provisions of law or (iii) has a provisional liquidator or receiver or official liquidator been appointed for such body corporate.

(3) A company as defined in the Companies Act 1956 shall be eligible to be elected as a member of the Exchange :

(a) such company is formed in compliance with the provision of Section 322 of Companies Act, 1956.

(b) a majority of Directors of such company are shareholders of such company and are also members of the Stock Exchange; and

(c) the Directors of such company who are members of the Stock Exchange have unlimited liability in such company.

(d) such company undertakes to comply with such financial requirements and norms as may be specified by the Securities and Exchange Board of India from time to time.

PROVIDED furtner that any company who is eligible to be admitted to the membership of the Exchange in terms of Article 2A of the Articles of Association of the Exchange shall be eligible to be admitted to the privileges of membership of the Exchange and permitted to carry on the shares and securities business only after due compliance with the provisions of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, read with Rules relating to Registration of Brokers as laid down under Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub Brokers) Rules, 1992 and Regulations thereof with regard to obtaining Registration Certificate.

(4) Every company formed in compliance with provisions of section 12/322 of the companies Act, 1956 shall pay an admission fee of Rs 5,00,000/- (Rupees five lakhs only) of which Rs 1,00,000/- (Rupees one lakh only) shall be paid along with the application for membership and the balance of Rs 4,00,000/- (Rupees four lakhs only) shall be paid within 30 days from the date of the despatch of the intimation of the admission. Simultaneously with the payment of Rs 4,00,000/- (Rupees four lakhs only) as aforesaid, the company admitted as member shall pay such amount as may be fixed by the Council towards development of infrastructural facilities, after necessary approval for fixing the infrastructural fees if obtained from Securities and Exchange Board of India.

PROVIDED that Public Financial Institution as referred in Article 1(s) of the Articles of Association of the Exchange admitted as member of the Exchange, as referred to under Article 2A of the Articles of Association, shall pay an admission fee of an amount equivalent to twice the fee payable by the company who is admitted to the membership of the Exchange, and such amount as may be fixed by the Council towards development of infrastructural facilities after necessary approval for is obtained from the Securities and Exchange Board of India.

(5) An application for admission as member by a company incorporated under Section 12/322 of the Companies Act, 1956 or Public Financial Institutions referred to under Article 1(s) of the Articles of Association of the Exchange is required to be made in the form that may e prescribed by the Council of the Exchange from time to time and shall be signed in case of Financial Institutions/ Corporations/ Subsidiaries of Banks by atleast two directors one of whom shall be the Managing/Whole-time Director. Where such Financial Corporation has a Managing/Whole-time Director, as the case may be, the application shall be accompanied by a copy of the Resolution passed by the Board of Directors of the Company/Public Financial Institutions and certified as a true copy by the Chairman, if any or Managing/Whole-time Director of the Company/Public Financial Institutions, within maximum period of thirty days from the date of receipt of the application forms from desiring to carry on the shares and securities busi-

ness as a corporate entity. Where a company or public financial institution seeking membership of the Exchange does not fulfill the requirements as indicated hereinabove, the Council of Management of the Exchange may reject the application for membership of the Exchange after giving the applicant reasonable opportunity of being heard.

(6) The Council may and if deemed fit accord and allow permission for admission to the membership of the Exchange to a company defined and incorporate as per the provisions of Section 322 of the Companies Act, 1956, provided :

(a) Such a company is formed and incorporated in compliance with the provisions of Section 322 of the Companies Act, 1956 and an office of the company office is situated within the city limits of Rajkot.

(b) A majority of the directors of such company are members of the Exchange with unlimited liability and the non-member Directors to be appointed are Indian Nationals.

(c) The directors, members of such company together with their relatives as defined under the Companies Act, 1956 are the major shareholders of the corporate body and are required to hold a minimum of 51% of the total issued capital of the company at any period of time and such director, members have unlimited liability in such company.

(d) The share holding pattern of the Director - members of such company shall not be altered without previous consent of the Council of The Exchange.

(e) No individual shall be permitted to be appointed as director of such company if his/her appointment is not in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 or he/she is not qualified to be a shareholder of the company for any reason whatsoever or he/she is an authorised representative Badge holder/sub-broker of any recognised Stock Exchange in India.

(f) Member(s) of the Exchange who is/are director(s) of such company should devote his full time to the business of the member organisation. Otherwise the Council shall be empowered to issue "Show Cause Notice" in terms of the Articles of Association of the Exchange, asking him to appear before them and if it is proved that the directors concerned is not devoting considerable time to the member organisation, he shall be expelled from the membership of the Exchange and the privilege of the membership granted to him shall be withdrawn forthwith. A director-member of such company shall not engage himself either as principal or employee in any business activity other than that of securities and if any member director contravenes the provisions of Rules 8(3)(f) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, the council of the Exchange shall be empowered to issue a show cause notice to such member, in terms of the Articles of Association of the Exchange and if it is proved that the member has not complied with the provisions of the aforesaid rules, he shall be expelled from the membership of the Exchange and the privileges of membership granted to him shall be withdrawn forthwith.

(g) The liability of the director-member shall be unlimited while acting through any Authorised Assistants/ Representatives.

(h) A director of such company which has been granted the privileges of membership will not be permitted to be a director of any other company, partner of a firm or sole-proprietor of a firm, which has been granted privileges of membership. A director of such company who is a member of the Exchange and permitted to carry on the business is not permitted to engage himself in any other office of profit other than that of the business mentioned in Article 2(A)(8)(g) of these Articles.

(i) A company which is permitted to carry on the business should itself arrange to supply such information as and when required by the Exchange and shall not employ and officer, employee or consultant of another corporate entity, carrying on the shares and securities business, as a director in the company.

(j) The Council is satisfied that the Memorandum and Articles of Association of the company contains provisions which require continued compliance by the applicant with the requirements of the Articles and Rules and contains provisions authorising member company on its own or at the request of the Exchange to obtain from its shareholders any information which the Exchange may require.

(k) In respect of such company if at any time after admission/permission to carry on the business is granted an officer or shareholder of the corporate member has made a will fur emission or a misstatement upon a material point prior to admission in or in connection with the application for admission of that company as member shall subject to the provisions of Articles on being given notice to that effect by the Council, cease to be a member. The Council shall, after due compliance with the provisions of the Articles of Association expel the director-member and withdraw the privilege of membership that the exchange had granted to him and the company if it is satisfied that at the time of making application to the Exchange seeking permission for admission to the privilege of membership for trading, the company was not eligible for the same and it has been secured by wailfully misrepresentation (or) at any time after admission/granting the privileges of trading the member director/company have ceased to maintain the Security Deposit or does not have the characteristics of eligibility under these reasons (or) the company, has contravened or committed any breach of provisions of the Articles of Association, Rules, Bye-laws, and Regulations of the Exchange or the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Rules framed thereunder and the provisions of the Companies Act, 1956 and Rules framed thereunder.

(l) The withdrawal of the privileges of member granted to the corporate membership shall operate as expulsion of the member-director of such company.

(7) The Council may, and if deemed fit, accord and allow permission for admission to the membership of the Exchange to a company formed in compliance with the provisions of Section 12 of the Companies Act, 1956 provided :

(a) an office of the company is situated in city limit of Rajkot;

(b) such company undertakes to comply ply with such financial requirements and norms as may be specified by the Securities and Exchange Board of India for the Registration of such company under sub-section (1) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(c) majority of the directors of such company are shareholders of the company and not less than 40% of the paid-up equity capital of the company is held by these Directors themselves or by the body corporate appointing them as Directors on the Board of such company and the holding pattern of the said 40% shall not be changed without the previous consent of the Council.

(d) the Directors of the company are not disqualified for being members of Stock Exchange under clause (1) (except sub-clause (f) thereof) or clause (3) (except sub-clause (f) thereof) of Rule 8 of the Securities Contracts (Regulation) Rules 1957, and of the company had not held the offices of the Directors in any company which had been a member of the Stock Exchange and had been declared defaulter or expelled by the Stock Exchange;

(e) not less than two Directors of the company are persons who possess a minimum three years experience :

(i) in dealing securities; or
(ii) as portfolio managers; or
(iii)as investment consultants

(f) The liabilities of Director shareholders shall be limited one even though the company acts through any authorised assistants/representatives.

(g) Every company formed in compliance with the provisions of Section 12 of the Companies Act, 1956 shall be entitled to be represented in respect of :

(i) business by Director(s) of the company subject to a maximum of two in number possessing the experience as defined under Article 2(A)(1)(c), by its authorised assistants/ representatives as authorised vide Board resolution naming the authorised representatives as eligible to conduct the business of the company.

(ii) election to the Council of the Exchange, nomination to any committee of the Exchange, one Director of the company possessing the experience as defined under Article 2(A)(1)(c).

(B) The following provisions shall apply to companies formed under Section 12 and Section 322 of the Companies Act, 1956, which are admitted as members of the Exchange.

(a) The Articles of Association of such companies shall contain such provisions as the Council of the Exchange may from time to time deem fit to be included.

(b) The list of shareholders of such companies shall be furnished to the Exchange as and when demanded, in addition to the submission of the same as on the date of the Annual general Meeting.

(c) No person who is

(i) declared defaulter in respect of Stock Exchange transaction by any recongnised Stock Exchange; or

(ii) involved or convicted of an offence under the provisions of the Companies Act, 1956; or

(iii) a director of any company formed in compliance with the provisions of Section 12 of the Companies Act, 1956 which is a member of any of the recognised Stock Exchange in India and which has been declared defaulter or expelled by the Stock Exchange;

shall e a Director of such company.

(d) Any amendment proposed to be made to the clauses in the Memorandum of Association of such company particularly relating to the object clause of the Memorandum of Association shall have the prior approval of the Exchange, as also any amendment to the Articles of Association of the Corporate entity, before the resolutions are tabled before the General Body Meeting of the company.

(e) Copies of the reports, Notices of all General Body meetings, Auditor's Certificate, returns that are required to be filed with the Registrar of Companies shall be forwarded to the Exchange. The Exchange could direct such companies to furnish any such additional information or material documents that it may require from time to time.

(f) The books of member companies that are being maintained including statutory books that are required to be maintained under the Companies Act, 1956 and as per the provisions of Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 shall be made available for inspection by the Exchange authorities and if at any point of time the Exchange finds that the books are not being property maintained it is open to the council to take such action as it may deem fit and necessary.

(g) The main Object in the Object Clauses of the Memorandum of such companies should mainly be confined only to the Stock Broking and its allied matters viz., acting as underwriter, broker to the issue, dealer in securities, buying and selling of shares and securities, merchant banking, market makers, registrars to the issue, share transfer agents, investment business, portfolio management, investment counseling, fixed deposit brokers, financial consultants, financial and discount brokers, advisors to the issue and consultants to the issue.

(h) Any change in the management of such company or a transfer of such company/amalgamation/ merger with another company having similar objects shall have the prior approval of the Council.

(i) The council of the Exchange in its absolute discretion, may permit member(s) of the Exchange to carry on the business as Corporate bodies, notwithstanding that any of the conditions as set out therein above is not duly complied.

PROVIDED further that none of the clause referred to hereinabove shall be made applicable in respect of the public financial institutions, subsidiaries of such corporations, subsidiaries of State Bank of India or Nationalised Banks, who are permitted to the membership of Exchange as per the directive of the Government of India.

(j) In the event of any change in the director(s)/ Authorised Assistant(s)/representative(s) of a corporate member, such changes shall be made with prior intimation to the Exchange and after obtaining written consent from the Exchange, which shall place on record the specimen signatures and other personal details of such new persons before giving its consent.

(k) The Council of the Exchange in its discretion ma approve or reject any application for permitting the business of a corporate member to be conducted by some named representative, if such representative is undesirable or would be individually disqualified to act as a member.

(l) The company shall maintain separate accounts for each of the activity being undertaken by it under object clause as mentioned in sub-clause (g) above and shall have to comply with financial requirements and norms as may be specified by the Securities and Exchange Board of India from time to time for each of the activity.

ARTICLE 9(a)(i) :

PROVIDED that companies formed in compliance with the provisions of Section 12 of the Companies Act, 1956 admitted to the membership of the Exchange shall maintain a security deposit equivalent to that amount of the security deposit payable by the individual member or such other higher amount as may be decided by the Council from time to time. Further in respect of companies formed under Section 322 of the Companies Act, 1956 the Security Deposit payable shall be equivalent to the amount to be paid by any individual member depending on the majority of Directors who are members of the Exchange. But however the public financial institutions/subsidiaries of such institutions, the corporation/State Bank of India and Nationalised Banks shall maintain a minimum security deposit of Rs 5 lakhs and the entire amount of the security deposit so maintained be in the form of cash.

ARTICLE 11(a)(i) :

Every company formed in compliance with the provisions of Section 12/322 of the Companies Act, 1956 and every public financial institution as defined under Article 1(s) of the Articles of Association of

the Exchange shall pay an annual subscription as applicable to individual members as per Article 11(a) of the Articles of Association. Such annual subscription prescribed under these presents shall be payable on admission and thereafter on or before 30th day of April every year for which the subscription is due.

ARTICLE 17(d) :

The Council of Management may fill in the vacancy arising out of resignation/surrender/default of membership right by a member by auctioning the same into in individual or Body Corporate who is otherwise elsewhere to be a member of the Exchange as per Article 2A and 6.

ARTICLE DELETED :

Clauses b, c, d, e and f of Article 62 of Articles of Association are deleted.

ARTICLE 63 :

The overall management of the affairs of the Exchange shall be vested in the Council of Management which, unless otherwise agreed to by the SEBI shall comprise of 13 members and shall consist of the following :

(a) Six members of the Stock Exchange to be elected by the members of the Stock Exchange.

(b) Persons not exceeding three nominated by the Central Government of SEBI in accordance with the Act and as provided in Article 64(a).

(c) Three Public Representatives to be nominated by SEBI in terms of Article 64(b).

(d) One Executive Director appointed in terms of Article 83(a) who is to act as an ex-officio member of the Council of Management.

ARTICLE 64(a) :

"The Central Government/SEBI may from time to time nominate one or more persons not exceeding three in number as member or members of the Council of Management. Such members shall enjoy the same status and powers as other members of the Council of Management. The members appointed by Central Government/SEBI shall not be subject to retirement by rotation or otherwise and shall continue to hold office at the pleasure of Central Government/SEBI. The Central Government/SEBI may at any time require such nominee to relinquish his appointment and appoint another person in his place."

ARTICLE 64(b) :

(i) Public Representative to be nominated under Article 63(c) shall be from amongst the persons of integrity having necessary professional competence and experience in the areas relating to the securities market.

(ii) For the purpose of nomination as Public Representatives, the Council of Management of the Exchange may forward the names of persons to SEBI for such nomination. SEBI shall, however, have the right to nominate persons whose names have not been forwarded to SEBI by the Council of Management of the Exchange.

(iii) The Public Representatives to be nominated on the Council of Management shall hold office for a period of one year from the date of assumption of the office or till the Annual General Meeting whichever is earlier.

ARTICLE 64(c) :

Provided that SEBI may at any time appoint Public Representatives more than three so that the total number of members nominated under Article 64(b) and Article 64(a) may not exceed the total number of members under Article 63(a).

ARTICLE 67(c) :

Provided that where a person has been a member elected for two consecutive terms on the Council of Management, he shall not offer himself for re-election for a further period of two years. Further that no member of the Exchange shall be elected to the Council of Management if he had already served on the Council for two consecutive terms.

ARTICLE 69 :

Subject to the provision of Article 67(c), any member who is not a retiring member or the Council of Management shall be eligible for reappointment to the office of a member of the Council of Management at any general meeting, if he or some other members intending to propose him, has not less than fourteen days before the meeting left at the registered office of the Exchange a notice in writing under his own hand signifying candidature for the office as a member of the Council of Management or the intention of such member to propose him as a candidate for that office as the case may be.

ARTICLE 72 :

(i) The President of the Exchange shall be elected from amongst the elected members of the Council of Management within ten days after the conclusion of the Annual General Meeting and no approval from the Central Government or SEBI would be required for appointment of any person as the President.

(ii) The President appointed as per Article 72(i) shall hold office for one year and shall be eligible for re-election.

PROVIDED THAT no member who has held the office of the President for two consecutive years shall be eligible to offer himself for re-election unless a period of one year has elapsed since he last held his office.

(iii) The Vice-President of the Exchange shall be elected from amongst the members of the Council of Management within ten days after the conclusion of the Annual General Meeting and no approval from the Central Government or SEBI would be required for appointment of any person as the Vice-President.

(iv) The Vice-President appointed as per Article 72(iii) shall hold office for one year and shall be eligible for re-election.

PROVIDED THAT no member who has held the office of the Vice-President for two consecutive years shall offer himself for re-election unless a period of one year has elapsed since he last held his office.

ARTICLE 74(a) :

"Unless he has been a member for not less than three years. This condition shall not, however, be operative for a period of seven years from the date of grant of recognition to the Exchange under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956."

ARTICLE 83(a) :

The Council of Management shall, with the previous approval of SEBI appoint a whole-time Executive Director who shall be an ex-officio member of the Council of Management and also a member of every committee or sub-committee appointed by the Council of Management. The appointment, the terms and conditions of service, the renewal of appointment and the termination of service of an Executive Director shall be subject to the prior approval of SEBI. The person so appointed shall not engage himself in any business directly or indirectly during the period he holds the office and if the member of the Exchange is so appointed, he shall resign his membership thereof forthwith. Besides the Council of Management, it shall be the duty of Executive Director to give effect to the directives, guidelines and orders issued by SEBI in order to implement the applicable provision of law, rules, regulations as also the rules or Articles of Association, Regulations and Bye-laws of the Exchange. Any failure in this regard will make Executive Director liable for removal or termination of service by the Exchange with the prior approval of SEBI or on receipt of direction to that effect from SEBI, subject to the Executive Director being heard against such termination.

ARTICLE 84(a) :

The Council of Management shall subject to the previous approval of the Securities & Exchange Board of India (SEBI) appoint a Secretary. The terms and conditions of such appointment shall be subject to the prior approval of the SEBI. The Secretary so appointed shall not be liable to dismissal or removal from his office without the prior approval of the SEBI.

ARTICLE 89(a)(iii) :

Disciplinary Committee.

ARTICLE 89(b) (i) :

Provided that not more than forty per cent of the members of the exchange shall be nominated from the members of the Exchange on the Arbitration, disciplinary and Default Committees and the balance sixty per cent shall be nominated on the said committees from the persons other than the members of the Stock Exchange with the prior approval of SEBI.

[No. SKSE/ED/97-98/1754]
MAHESH P. SHAH, Executive Director

अधिसूचना

राजकोट, 29 नवम्बर, 1997

का. आ. 817(अ).—विनियमों की संशोधित सूची :—

अध्याय 20 : ग्राहकों एवं दलालों (ब्रोकरों) के बीच लेन-देन के विनियम—

1. यह आवश्यक होगा कि सदस्य दलाल, ग्राहकों का धन अलग तथा अपना धन अलग खाते में रखें। भुगतान का ऐसा कोई लेन-देन, जिसमें संदस्य दलाल की स्थिति मूल (प्रिन्सीपल) की है, ग्राहक के खाते से नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त सिद्धांत तथा परिस्थितियां, जिनमें ग्राहक के खाते से सदस्य दलाल के खाते में अंतरण अनुमत होगा, निम्नानुसार है—

(ए) **सदस्य दलाल द्वारा रखे जाने वाले खाते**—प्रत्येक सदस्य दलाल, सदस्य के नाते अपने कारोबार को निम्नानुसार, दिखाने तथा अलग रखने के लिए, जो आवश्यक होंगी, अलग पुस्तकें रखेगा—

(1) अपने हर ग्राहक से या ग्राहक के खाते से प्राप्त तथा हर ग्राहक को या खाते में भुगतान राशि, तथा

(2) सदस्य के स्वयं के खाते में प्राप्त या स्वयं के खाते से भुगतान राशि।

(बी) **"ग्राहक के खाते" में धन भुगतान करने की बाध्यता**—प्रत्येक दलाल सदस्य, जो ग्राहक से धन प्राप्त करता है या रखता है, आगे से इस धन को, बैंक में, रखे जा रहे चालू (करंट) या जमा खाते में, ग्राहक के नाम पर, जिसमें शब्द "ग्राहक" प्रकट होगा, रखेगा, (अब से जिसे "ग्राहक का खाता" कहा जाएगा) सदस्य दलाल सभी ग्राहकों का एक समन्वित खाता, या हर ग्राहक के लिए अलग खाता, जैसा उचित समझे रख सकता है, बशर्ते कि, सदस्य दलाल को जब ऐसा कोई चैक या ड्राफ्ट प्राप्त होता है, जिसमें निहित धन का कुछ भाग ग्राहक का है तथा कुछ भाग दलाल का है, तो सदस्य यह पूरा चैक या ड्राफ्ट ग्राहक के खाते में जमा करेगा तथा बाद में नीचे पच्छिेद डी (2) में बताए अनुसार अंतरण (ट्रान्सफर) करेगा।

(सी) **"ग्राहक के खाते" में कौन सा धन जमा किया जाए**—निम्नलिखित के अलावा ग्राहक के खाते में कोई अन्य धन जमा नहीं किया जाएगा—

(1) ग्राहक के खाते के लिए प्राप्त या रखा गया धन।

(2) सदस्य से संबंधित, खाता खोलने या खाते में रखने के लिए आवश्यक धन।

(3) नीचे परिच्छेद डी में दिए (प्रावधानों) का उल्लंघन करते हुए गलती या भूल से निकाली गई राशि को समायोजित (प्रतिस्थापित) करने के लिए जमा किया गया धन।

(4) सदस्य से प्राप्त चैक या ड्राफ्ट जिसमें धन का एक भाग ग्राहक से संबंधित है तथा दूसरा भाग सदस्य को देय (ड्यू) है।

(डी) **"ग्राहक के खाते" से कोई सा धन निकाला जा सकता है**— निम्नलिखित के अलावा ग्राहक के खाते से कोई धन नहीं निकाला जा सकता है—

(1) ग्राहक को या उसकी तरफ से भुगतान, सदस्य के लिए या ग्राहक की तरफ से सदस्य को देय ऋण का भुगतान या ग्राहक के अधिकार (अथोरिटी) से आधारित राशि या ग्राहक की और से सदस्य को देय धन आदि के भुगतान के लिए समुचित धन, बशर्ते कि इस प्रकार आहरित धन, किसी भी स्थिति में, ऐसे हर ग्राहक के लिए, कुछ समय के लिए रखे गए धन से अधिक नहीं होगा।

(2) सदस्य से संबद्ध ऐसा धन, जो परिच्छेद 1 सी(2) या 1 सी (5) के अनुसार ग्राहक के खाते में जमा कर दिया गया है।

(3) ऊपर परिच्छेद सी का उल्लंघन करते हुए गलती या भूल से इस खाते में जमा किया गया धन।

(इ) ग्रहणाधिकार तथा हानि की पूर्ति का अधिकार अप्रभावित परिछेद 1 में वर्णित कुछ भी, सदस्य दलाल को, उसके ग्राहक के खाते में उपलब्ध धन के सामने उसके ग्रहणाधिकार (लिए) हानि पूर्ति (सेट ओफ), जवाबी दावा (काउण्टरक्लेम) प्रभार या अन्य किसी प्रकार के सहारे या अधिकार से वंचित नहीं करेगा।

2. सभी सदस्य दलालों के लिए यह अनिवार्य होगा, कि वे अपने ग्राहकों की प्रतिभूतियों के लिए अलग खाते रखें, तथा जहां कहीं आवश्यक हो, इन खातों को अपनी प्रतिभूतियों के खातों से अलग रखने के लिए अलग रखे। ग्राहक की प्रतिभूतियों की ये पुस्तकें साथ-साथ अग्रलिखित के लिए भी जानकारी देंगी।

(ए) विक्रय या बाजारों में सुपुर्दगी के लिए बाकी प्रतिभूतियाँ

(बी) ग्राहकों को सुपुर्दगी के लिए बाकी, पूर्णत: प्रदत्त प्रतिभूतियाँ

(सी) ग्राहक या उसके नामिती के नाम पर अंतरण के लिए प्राप्त या, सदस्य द्वारा अन्तरण के लिए भेजी गई प्रतिभूतियाँ।

(डी) प्रतिभूतियाँ जो पूर्णत: प्रदत्त हैं तथा सदस्य द्वारा प्रतिभूति या मार्जिन के रूप में अभिरक्षा में रखी गई है। उसके लिए सदस्य द्वारा ग्राहक से उचित प्राधिकार प्राप्त किया जाएगा।

(ई) मार्जिन की आवश्यकता के लिए, सदस्य के नाम पर पंजीकृत ग्राहक की पूर्णत: प्रदत्त प्रतिभूतियाँ, यदि कोई हैं तो,

(एफ) "ब्याज बदला" में दी गई प्रतिभूतियाँ। उसके लिए सदस्य ग्राहक से समुचित प्राधिकार प्राप्त करेगा।

3. यदि ग्राहक ने अन्यथा निवेदन नहीं किया है, तो खरीद के दो कार्य दिवसों में ही, सदस्य दलाल अपने ग्राहकों को भुगतान करेंगे या प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी करेंगे। भुगतान (पे आउट) के तुरन्त बाद स्टॉक एक्सचेंज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगा।

4. जब तक कि ग्राहक ने दलाल के पास पहले ही समतुल्य राशि जमा न कर दी हो, विक्रय के लिये प्रस्तावित प्रतिभूतियों के मूल्य पर, कम से कम 20% मार्जिन की प्राप्ति पर ही सदस्य दलाल अपने ग्राहक के लिए प्रतिभूतियाँ खरीदेगा। यदि वे ऐसा चाहते हैं तो, सदस्य, वित्तीय संस्थाओं म्युच्युअल निधियों आदि से, मार्जिन नहीं लेगा।

5. जब तक कि सदस्य ने ऐसे विक्रय से पहले अपनी सन्तुष्टि के लिए, बेची जाने वाली प्रतिभूतियाँ वैध अन्तरण दस्तावेजों के साथ प्राप्त न कर ली हों, बेचने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों के मूल्य पर कम से कम 20% मार्जिन की प्राप्ति पर ही सदस्य दलाल ग्राहक की ओर से प्रतिभूतियाँ बेचेगा।

6. सदस्य दलाल, अनुबंध निष्पादन के 25 घण्टों के अन्दर ग्राहक को प्रतिभूतियों के क्रय/विक्रय के बारे में अनुबंध नोट जारी करेगा।

7. जब तक कि ग्राहक, सदस्य के पास समतुल्य राशि पहले ही जमा न करा चुका हो, ग्राहक की ओर से क्रय के मामले में, कैश शेयरों के लिए अनुबंध नोट प्राप्ति के 2 दिन के अन्दर, तथा विशिष्ट शेयरों के लिए 7 दिन या (संबंधित समझौता अवधि के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्धारित) भुगतान दिन या इनमें से जो भी दिन पहले हो-इनके अन्दर यदि ग्राहक अनुबंध के निष्पादन के लिए सदस्य को पूरा भुगतान करने में असफल होता है, तो सदस्य दलाल को यह छूट होगी, कि वह प्रतिभूतियों को बेचकर लेन-देन बंद कर दे।

8. ग्राहक की ओर से विक्रय के मामले में, यदि ग्राहक वैध दस्तावेजों सहित विक्रय की गई प्रतिभूतियों की, अनुबंध नोट की सुपुर्दगी के 48 घण्टों के अन्दर या (संबंधित समझौता अवधि के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्धारित) सुपुर्दगी दिवस—इन में से जो भी पहले हो, उस अवधि के अन्दर, सुपुर्दगी देने में असफल होता है, तो सदस्य दलाल को छूट होगी, कि वह क्रय करके अनुबंध बंद कर दे।

शेयर दलालों के लिए पूंजी पर्याप्तताओं मानदण्ड

(1) पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड की आवश्यकताओं में निम्नलिखित दो अवयव शामिल होंगे —

(ए) आधारभूत—न्यूनतम पूंजी :

मुम्बई तथा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य दलाल, कम से कम रु. 5 लाख तथा दिल्ली तथा अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य दलाल, कम से कम रु. 3.5 लाख की राशि, एक्सचेंज में जमा के रूप में रखेंगे। यह बात सभी दलालों पर लागू होगी, भले ही किसी दलाल विशेष के कारोबार का आकार कितना ही क्यों न हो। सदस्य दलाल द्वारा एक्सचेंज में रखी गई प्रतिभूत जमा की राशि, आधारभूति-न्यूनतम पूंजी के एक भाग का निर्माण करेगी।

(1) रूप जिसमें आधारभूत-न्यूनतम पूंजी रखी जाएगी—

आधारभूत-न्यूनतम पूंजी का 25 प्रतिशत नकदी के रूप में एक्सचेंज में रखा जाएगा। दूसरा 25 प्रतिशत भाग, (तीन वर्षीय या अधिक की) सावधि जमा के रूप में बैंक में रखा जाएगा, जिस पर स्टॉक एक्सचेंज के भार रहित (अनएन्कम्बर्ड) तथा बिना शर्त ग्रहणाधिकार (लिएन) दिया जाएगा। बाकी भाग को 30 प्रतिशत मार्जिन के साथ प्रतिभूति के रूप में रखा जाएगा। आधारभूत-न्यूनतम पूंजी के भाग के रूप में रखी गई प्रतिभूतियों में सदस्य के नाम की प्रतिभूतियां शामिल होंगी। इस बारे में जमा की गई प्रतिभूतियां, सदस्य तथा एक्सचेंज के साथ संयुक्त रूप से, एक्सचेंज के पक्ष में गिरवी रखी जाएंगी तथा गिरवी रखने के बारे में, संबंधित कम्पनियों को भी सूचित किया जाएगा। बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए, एक्सचेंज हर दो महीने पर प्रतिभूतियों के मूल्यों की समीक्षा करेगा, तथा यदि आवश्यक हुआ तो एक्सचेंज, अतिरिक्त प्रतिभूतियां भी मांग सकता है।

(2) आवश्यक मार्जिन :

स्टॉक एक्सचेंज, दैनिक, आगे ले जाए जानेवाले तथा नवीनीकरण मार्जिनों में समुचित संशोधन (मोडीफिकेशन) करेगा, ताकि सुनिश्चित किया जा सके, कि सदस्य की कार्यशील पूंजी अनावश्यक रूप से बंध कर न रह जाए। तथापि, स्टॉक एक्सचेंज का यह अधिकार जारी रहेगा, कि वह बाजार की परिस्थितियों के संदर्भों में अपने निर्णय के अनुसार समुचित मार्जिन लागू कर सके।

(3) निगरानी आवश्यकताएं :

यह सदस्य की जिम्मेदारी होगी, कि वह कारोबार में अतिरिक्त पूंजी के अनुपालन के बारे में, एक्सचेंज को सूचित करें। सदस्य दलाल का यह भी कर्त्तव्य होगा, कि वह अपनी आधारभूत तथा अतिरिक्त पूंजी के दस गुने के बराबर सकल बकाया (ग्रॉस आउटस्टेन्डिंग) पहुंचने पर स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करे।

उस तारीख से, जिस तारीख को पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड प्रभावी होते हैं, (मार्च 31, जून 30, सितम्बर 30 तथा दिसम्बर 31) को समाप्त हर तिमाही के लिए, अपनी पुस्तकों में अतिरिक्त पूंजी रखने वाले सदस्य को, एक्सचेंज को इस आशय का लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, कि पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त पूंजी, कारोबार में रखी जा रही हो तथा सदस्य ने ऊपर बताई गई सीमा पर पहुँचने पर एक्सचेंज को सूचित करने के बारे में अनुपालन किया है। यह प्रमाणपत्र तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) दण्ड (पेनल्टीज) :

पूँजी पर्याप्तता मानदण्डों का अनुपालन न कर पाने की स्थिति में जुर्माने तथा व्यापार से निलंबन सहित दण्ड किए जा सकते हैं।

ऊपर बताई गई सीमा पर पहुँच कर, एक्सचेंज को सूचित न करना भी स्टॉक एक्सचेंज के उपनियमों के अन्तर्गत, दण्डनीय है।

(5) पूँजी आवश्यकता से छूट वाला कारोबार—

वे लेन-देन, जिनमें दलाल 48 घण्टे के अन्दर स्टॉक एक्सचेंज/समाशोधन गृह/या किसी नामित जमाकर्त्ता (डिपोजिटरी) को जमा सुपुर्दगी देता है।

(6) हामीदार के रूप में पूँजी पर्याप्तता की आवश्यकताएँ—

हामीदारी का कारोबार करनेवाले सदस्यों के लिए, सेबी द्वारा सेबी (हामीदार) विनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार, पूँजी पर्याप्तता आवश्यकताओं के बारे में अलग से निर्धारण किया जाएगा।

(बी) कारोबार के आकार से सम्बद्ध अतिरिक्त या वैकल्पिक पूंजी—

किसी एक समय बिंदु पर किसी सदस्य की अतिरिक्त या वैकल्पिक पूँजी आवश्यकता इतनी होगी जो आधारभूत न्यूनतम पूँजी के साथ (सहित), एक्सचेंज में सकल बकाया कारोबार के 8 प्रतिशत से कम न हो। सकल बकाया कारोबार का अर्थ होगा—वर्तमान (चालू) समझौते की अवधि में किसी एक समय बिन्दु पर, किसी सदस्य दलाल द्वारा (एक्सचेंज के प्रांगण में निष्पादित न किए गए अन्तर ग्राहक कारोबार सहित) सभी प्रतिभूतियों को एक साथ मिला कर उनमें किए गए सभी क्रयों, विक्रयों का योग।

व्याख्या :

ग्राहकों की तरफ से किए गए किसी क्रय या विक्रय के निर्धारण (नेटिंग) की अनुमति नहीं होगी। तथापि, सदस्य द्वारा अपनी तरफ से उसी प्रतिभूति में किए गए क्रय-विक्रय में निर्धारण (नेटिंग) करने की अनुमति होगी तथा उसकी जानकारी (एक्सपोजर) मूल्य विभेदक तक सीमित होगी। अतिरिक्त पूंजी सहित न्यूनतम आधारभूत पूँजी के लिए, सकल बकाया कारोबार की 8 प्रतिशत की आवश्यकता निम्न तरीके से चरण बद्ध की जा सकती है।

(ए) 1 दिसम्बर, 1993 से लागू की जा रही 3 प्रतिशत की आवश्यकता।

(बी) 1 जून, 1994 से 5 प्रतिशत तक बढ़ाई जा रही आवश्यकता।

(सी) 1 दिसम्बर, 1994 से प्रभावी पूरे 8 प्रतिशत की आवश्यकता।

पूरे मानदण्डों के लागू होने पर—

किसी एक समय बिन्दु पर किसी सदस्य का सकल बकाया कारोबार (ग्रोस आउटस्टेन्डिंग बिजनैस), उसकी आधारभूत तथा अतिरिक्त पूँजी जरूरतों के 12.5 गुने से ज्यादा नहीं होगा। आधारभूत तथा अतिरिक्त पूँजी के 10 गुने के बराबर, बकाया कारोबार होते ही, यह सदस्य का उत्तरदायित्व होगा, कि वह एक्सचेंज को सूचित करे।

यदि बकाया कारोबार, आधारभूत तथा अतिरिक्त पूंजी के 12.5 गुने तक पहुँचता ।

[सं. एस के एस ई/ई डी/97-98/1754]

महेश पी. शाह, कार्यकारी निदेशक

NOTIFICATION

Rajkot, the 29th November, 1997

S.O. 817(E).—List of Regulation amended :—

CHAPTER XX :

REGULATION OF TRANSACTIONS BETWEEN CLIENTS AND BROKERS

(i) It shall be compulsory for all member brokers to keep the money of the clients in a separate account and their own money in a separate account. No payment for transactions in which the member broker is taking a position as a principal will be allowed to be made from the client's account. The above principles and the circumstances under which transfer from client's account to member broker's account would be allowed are enumerated below.

(A) MEMBER BROKER TO KEEP ACCOUNTS :

Every member broker shall keep such books of account, as will be necessary, to show and distinguish in connection with his business as a member—

(i) Moneys received from or on account of and moneys paid to or on account of each of his clients and,

(ii) the moneys received and the moneys paid on member's own account.

(B) OBLIGATION TO PAY MONEY INTO "CLIENTS ACCOUNTS":

Every member broker who holds or receives money on account of a client shall forthwith pay such money to current or deposit account at bank to be kept in the name of the member in the title of which the word "Clients" shall appear (hereinafer referred to as "clients account"). Member broker may keep one consolidated clients account for all the clients or accounts in the name of each client, as he thinks fit :

Provided that when member broker receives a cheque or draft representing in part money belonging to the client and in part money due to the member, he shall pay the whole of such cheque or draft into the clients account and effect subsequent transfer as laid down below in para D (ii).

(C) WHAT MONEYS TO BE PAID INTO "CLIENTS ACCOUNT" :

No money shall be paid into clients account other than :

(i) money held or received on account of clients;

(ii) such money belonging to the member as may be necessary for the purpose of opening or maintaining the account ;

(iii) moncy for replacement of any sum which may by mistake or accident have been drawn from the account in contravention of para D given below : .

(iv) a cheque or draft received by the member representing in part money belonging to the client and in part money due to the member.

(D) WHAT MONEYS TO BE WITHDRAWN FROM "CLIENTS ACCOUNT" :

No money shall be drawn from clients account other than—

i) money properly required for payment to or on behalf of clients or for or towards payments of a debt due to the Member from clients or money drawn on client's authority, or money in respect of which there is a liability of clients to the Member, provided that money so drawn shall not in any case exceed the total of the money so held for the time being for such each client ;

ii) such money belonging to the Member as may have been paid into the client account under para 1 C (ii) or 1 C (iv) given above;

iii) money which may be mistake or accident have been paid into such account in contravention of para C above.

E) RIGHT TO LIEN, SET-OFF ETC., NOT AFFECTED :

Nothing in this para 1 shall deprive a Member broker of any recourse or right, whether by way of lien, set-off, counter-claim charge or otherwise against moneys standing to the credit of clients account.

(2) It shall be compulsory for all Member brokers to keep separate accounts for client's securities and to keep such books of accounts, as may be necessary, to distinguish such securities from his/their own securities. Such accounts for client's securities shall, inter-alia, provide for the following :-

(a) Securities received for sale or kept pending delivery in the market;

(b) Securities fully paid for, pending delivery to clients;

(c) Securities received for transfer or sent for transfer by the Member, in the name of client or his nominee (s);

(d) Securities that are fully paid for and are held in custody by the Member as security/margin etc. Proper authorization from client for the same shall be obtained by Member.

(e) Fully paid for client's securities registered in the name of Member, if any, towards margin requirements etc.;

(f) Securities given on Vyaj-badla. Members shall obtain authorization from clients for the same.

(3) Member Brokers shall make payment to their clients or deliver the securities purchased within two working days of pay-out unless the client has requested otherwise. Stock Exchange shall issue a Press Release immediately after the pay-out.

(4) Member Brokers shall buy securities on behalf of client only on receipt of margin of minimum 20 percent on the price of the securities proposed to be purchased, unless the client already has an equivalent credit with the broker. Member may not, if they so desire, collect such a margin from financial institutions, mutual funds and FII's.

(5) Member brokers shall sell securities on behalf of client only on receipt a minimum margin of 20 percent on the price of securities proposed to be sold, unless the member has received the securities to be sold with valid transfer documents to his satisfaction prior to such sale. Member may not, if they so desire, collect such a margin from Financial Institutions, Mutual Funds and FII's.

(6) Member brokers shall issue the contract note for purchase/sale of securities to a client within 24 hours of the execution of the contract.

(7) In case of purchases on behalf of clients, Member brokers shall be at liberty to close out the transactions by selling the securities, incase the client fails to make the full payment to the Member Broker for the execution of the contract within two days of contract note having been delivered for cash shares and seven days for specified shares or before pa6y-in day (as fixed by Stock Exchange for the concerned settlement period), whichever is earlier; unless the client already has an equivalent credit with the Member. The loss incurred in this regard, if any, will be met from the margin money of that client.

(8) In case of sales on behalf of clients, Member brokers shall be at liberty to close out the contract by effecting purchases if the client fails to deliver the securities sold with valid transfer documents within 48 hours of the Contract note having been delivered or before delivery day (as fixed by Stock Exchange authorities for the concerned settlement period), whichever is earlier. Loss on the transaction, if any will be deductible from the margin money of that client.

CHAPTER XXI :
CAPITAL ADEQUACY NORMS FOR STOCK BROKERS

1. The Capital Adequacy requirements shall consist of the following two components :

A) BASE MINIMUM CAPITAL

An absolute minimum of Rs. 5 lakhs as a deposit with the exchange shall be maintained by member brokers of the Bombay and Calcutta Stock Exchanges, and Rs. 3.5 lakhs by Delhi and Ahmedabad Stock Exchanges. In case of the other stock exchanges the minimum required shall be Rs. 2 lakhs. This requirement is irrespective of the volume of business of an individual broker. The security deposit kept by the members in the exchanges shall form part of the base minimum capital.

1) FORM IN WHICH BASE MINIMUM CAPITAL TO BE MAINTAINED

25% of the base minimum capital shall be maintained in cash with the Exchange. Another 25% shall remain in the form of a long term (3 years or more) fixed deposit with a bank on which the stock exchange has been given a completely unencumbered and unconditional lien. The remaining shall be maintained in the form of securities with a

30%margin. The portion of the base minimum capital in the form of securities, shall comprise securities standing in the name of members. The securities deposited in this regard shall be pledged in favour of the exchange, with the member and the exchange jointly apprising the companies concerned regarding the fact of pledges. The value of the securities shall be reviewed by the Exchange at least every two months keeping in view the market fluctuations and the exchange can call for additional securities if necessary.

(2) MARGIN REQUIREMENTS

The Stock exchange shall suitable modify the daily, carry forward and renewal margins so as to ensure that the working capital of the members is not unduly locked up. However, the stock exchange shall continue to the working capital of the members is not unduly locked up. However, the stock exchange shall continue to have the authority to impose suitable margins as per their judgment in the context of the market situation.

(3) MONITORING REQUIREMENTS

It shall be the responsibility of the member to inform the exchange regarding compliance with the additional capital maintained in the business. It shall also be the duty of the member broker to intimate the stock exchange on reaching a gross outstanding position of 10 times his base and additional capital.

For every quarter (ending March 31, June 30, September 30 and December 31) from the date in which the capital adequacy norms come into force, the members who maintained the additional capital in their hooks, would have to furnish to the exchange an auditor's certification to the effect that the additional capital required as per the capital adequacy norms have been maintained in the business and that the member has complied with the requirements of informing the exchange on reaching the limits stated above. Such certificate will be provided within one month of the end of the quarter.

(4) PENALTIES :

Failure to comply with the capital adequacy norms will invite penalties including fines and suspension from trading. Failure to 0inform the Stock Exchange on reaching the prescribed limits will also be punishable under the Bye-laws of the Stock Exchange.

(5) BUSINESS EXEMPT FROM CAPITAL REQUIREMENTS

Transactions in which the broker deposits delivery within 48 hours with the stock exchange/clearing house/or a designated depository.

(6) REQUIREMENTS FOR CAPITAL ADEQUACY AS AN UNDERWRITER

The capital adequacy requirement for members doing underwriting business will be separately prescribed by SEBI as per the provisions of SEBI (Underwriter) Regulations, 1993.

(B) ADDITIONAL OR OPTIONAL CAPITAL RELATED TO VOLUME OF BUSINESS

The additional or optional capital required of a member shall at any point of time be such that together with the base minimum capital it is not less than 8% of the gross outstanding business in the exchange. The gross outstanding business would mean aggregate of upto date sales and purchases by a member broker in all securities put together (including inter-client business not executed on the floor of the exchange) at any point of time during the current settlement.

Explanation : No netting of sale and purchases made on behalf of clients will be permitted. However, sales and purchases made by the broker on his own behalf in the same security will be allowed to been netted and his exposure will be limited to the price differential.
The requirement of 8% of the gross outstanding business for base minimum capital together with the additional capital may be phased in the following manners:

(A) A requirement of 3% being enforced from December 1, 1993.
(B) The requirement being enhanced to 5% from June 1, 1994.
(C) The requirement of full 8% being enforced from December, 1994.

On enforcement of full norms the "Gross outstanding business" of a member at any point of time shall not exceed 12.5 times base and additional capital, the members shall not increase his outstanding business until additional capital has been brought into his business and the Stock Exchange is satisfied that the ;member could be allowed to trade further.

In the interim period in which the norms of 8% has not been enforced proportionate rations would be applied.

(C)
The capital of a member shall be computed as follows :
-Capital +Free Reserves
-Less non-allowable assets viz.
(a) Fixed Assets, (b) Pledged Securities,(c)Member's Card, (d) Non-allowable securities, (e) Bad deliveries, (f) Doubtful Debts and Advances*. (g) Prepaid Expenses, (h) Intangible Assets, (i) 30% of Marketable securities.

* Explanation : Includes debts/advances overdue for more than three months or gien to Associates.

The member who do not maintain proper books of accounts or who do not submit copies of their audited accounts in the stipulated time shall be liable to be asked to deposit the additional capital in the form of cash with the exchange. An auditor's certificate shall be submitted by each member every quarter indicating the net liquid capital with the member/member firm."

The Chairman invited questions on the resolutions. Majority of the members were of opinion that the changes solicited in the Bye-laws of the Exchange should be circulated to the members in the regional language. They also said that this resolution should be taken in the next general meeting. The Chairman explained that the changes in the bye-laws were as directed by the SEBI. After discussion the resolution was put to vote by show of hands.

[No. SKSE/ED/97-98/1754]
MAHESH P. SHAH, Executive Director

अधिसूचना

राजकोट, 29 नवम्बर, 1997

का. आ. 818 (अ).—उपनियम की संशोधित सूची :—

परिसम्पतियों का प्रयोग : 334

• व्यतिक्रम समिति, एक्सचेंज, समाशोधन गृह के पहले अदा किए जाने वाले दावों तथा इन उपनियमों, विनियमों के अन्तर्गत अनुमत लागतों, प्रभारों तथा खर्चों तथा व्यतिक्रमी सदस्य की बकाया (आउटस्टेन्डिंग) पंजीकरण फीस आदि के बारे में सेबी के दावों तथा उसके बाद, एक्सचेंज के विनियमों, उपनियमों तथा नियमों के प्रावधानों के अनुसार बाजार में हुए अनुबंधों की वजह से बने सदस्यों तथा निवेशकों के, व्यतिक्रमी के खिलाफ स्वीकृत दावों को दरानुसार (रेटिएबली) अदा करने के बाद हाथ में बची शुद्ध परिसम्पतियों को प्रयोग करेगी।

(एक्सचेंज की प्रबंध परिषद् की दिनांक 22-8-96 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित)

[सं. एस के एस ई/ई डी/97-98/1754]

महेश पी. शाह, कार्यकारी निदेशक

NOTIFICATION

Rajkot, the 29th November, 1997

S.O. 818(E).—List of Bye-law Amended :—

BYE-LAW NO. 334 :

APPLICATION OF ASSETS : 334

The Defaulters' Committee shall apply the net assets remaining in its hands after defraying all such costs, charges and expenses as are allowed under these Bye-laws and Regulations in satisfying first the claim of the Exchange and the Clearing House and claims of SEBI regarding outstanding Registration Fees of Defaulting member and then rateably such admitted claims of members and investors against the defaulter arising out of contracts entered into in the market in accordance with the provisions of the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange.

[No. SKSE/ED/97-98/1754]
MAHESH P. SHAN, Executive Director

3069/GI/97 – 5

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997